अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल

संख्या- 7/2024/ 362/ सैंतालीस-का-5-2024-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 03.09.2024

विषयः- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए गए थे कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर इसे प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 7/2024/489/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, दिनांक 06.06.2024, पत्र संख्या-238/सैंतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 11.07.2024 द्वारा समय-समय पर अनुस्मारक प्रेषित किये गये है। शासन के पत्र संख्या-4/2024/267/सैंतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांकः 17.08.2024 द्वारा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु दिनांक 31.08.2024 तक अवसर प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये कि चल अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह अगस्त, 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

2- मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल पंजीकृत कार्मिकों के सापेक्ष अभी भी लगभग 26 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023 के स्थान पर वर्ष-2024 का सम्पत्ति विवरण दर्ज किया गया है। पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय के पत्र संख्या-टीएससी-39/2005(सात), दिनांक 31.08.2024 द्वारा पुलिस कर्मियों की चेहल्लुम, रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी एवं दिनांक 23.08.2024 से दिनांक 31.08.2024 तक संचालित आरक्षी भर्ती परीक्षा, 2023 में व्यस्तता के दृष्टिगत सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूंकि प्रथम बार की जा रही है अतएव प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु दिनांक 30.09.2024 तक अंतिम अवसर प्रदान करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का निर्णय लिया गया है। अतएव अपने विभाग के अधीन समस्त कार्मिकों को वर्ष-2023 का सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह सितम्बर, 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।